

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, कासगंज।

पत्रांक

२५३७ / २८८

दिनांक १६-११-१५

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कासगंज।

विषय - उ० प्र० रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट १९४५ की धारा-६ के अन्तर्गत जनपद-कासगंज, बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग सं०-३३) के किमी० १६७, हैमी० २ व ४ (चैनेज किमी०-१६६.१८२) में मार्ग के बायीं ओर ग्राम-अथइया, गाटा सं० २४२(स), प्रस्तावित क्षेत्रफल ९००.०० वर्ग मी० में नवीन रिटेल आउट-लेट निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - आपका पत्रांक ४०४२ न्याय सहायक (द्वितीय) / २०१५ दिनांक ११.०९.२०१५

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग सं०-३३) के किमी० १६७, हैमी० २ व ४ (चैनेज किमी०-१६६.१८२) में मार्ग के बायीं ओर, ग्राम-अथइया, गाटा सं० २४२(स) (प्रस्तावित क्षेत्रफल ९००.०० वर्ग मी०) तहसील व जिला कासगंज पर नवीन रिटेल आउट-लेट निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु जारी करने के सम्बन्ध में सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक आर०डब्ल्यू०/एन०एच० ३३०२३-१९/९९/डी० ओ० III दिनांक ३१.०८.२००० एवं आर०डब्ल्यू०/एन०एच० ३३०२३-१९/९९-डी०ओ० III दिनांक २५.०९.२००३/१७.१०.२००३ में दी गई गाइड लाईन एवं मुख्य अभियन्ता आगरा क्षेत्र, लो० नि० वि० आगरा के पत्रांक १६३३७/११६ सी०-आ०क्ष०/१५ दिनांक ०९.११.२०१५ में दिये गये निर्देश के क्रम में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है। निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन आवेदक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

१. मानचित्र मानक के अनुसार बने हैं।
 २. प्रस्तावित निर्माण अभी आरम्भ नहीं किया गया है।
 ३. आवेदक के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित निर्माण में कोई वाद किसी न्यायालय में उ० प्र० रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट १९४५ की धारा १३ (१) अथवा १३ (२) के अन्तर्गत विचाराधीन नहीं है। अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
 ४. प्रस्तावित निर्माण स्थल ग्राम-अथइया (आबादी) सीमा के बाहर है।
 ५. प्रस्तावित स्थल बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग सं०-३३) के किमी० १६७, हैमी० २ व ४ (चैनेज किमी०-१६६.१८२) में मार्ग के बायीं तरफ स्थित है।
 ६. प्रस्तावित स्थल कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
 ७. आई० आर० सी० (१२) १९८३ की प्रक्रिया के अनुसार फिलिंग स्टेशन के लिए निर्धारित माप दण्डों की पूर्ति होती है।
 ८. मार्ग पर उक्त रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये एक किमी० दूरी पर सर्विस वैरियर नहीं है।
 ९. बफर स्ट्रिप १२.०० मी० की लम्बाई एवं ३.०० मी० की चौड़ाई एवं मार्ग के मध्य से २२.८६ मी० की दूरी पर बनाये जाना मानचित्र में प्रदर्शित है।
 १०. रिटेल आउट-लेट पर वाहनो का प्रवेश एवं निकास, कर्वस की चौड़ाई (सामने से कम से कम ९.०० मी०) की शर्तपूर्ति होती है।
 ११. आवेदक को उपरोक्त स्थल पर मानचित्र में दर्शित मापों के अनुसार प्रस्तावित निर्माण कार्य रिटेल आउट-लेट लगाने की अनुमति की संस्तुति मार्ग के मध्य से २२.८६ मी० की दूरी पर नाली व बफर स्ट्रिप का निर्माण तथा डिस्पेन्सिंग पम्प ३३.३६ मी० दूरी, टैंक ४१.३६ मी० व भवन ४४.३६ मी० दूरी पर लगाये जाने की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि -
- (क) आवेदक को पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्च से मानचित्र के अनुसार ओपन ड्रेन (नाली) एवं दोनों ओर पुलिया व पहुँच मार्ग का निर्माण लो० नि० वि० की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। १५ वर्षों के लिए लीज डीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र एनेक्जर III पर आवेदक से प्राप्त कर लिया गया है। एग्रीमेन्ट की फीस सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जमा करायी जायेगी। प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।

प्रादेशिक प्रबंधक (रिटेल) मथुरा

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
प्लॉट डी-१, रोड नं० २६, इंडस्ट्रियल एरिया,
साइट-बी, पो. रिफाइनरी, मथुरा-२८१००५

- (ख) आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात् किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।
- (ग) आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल या वर्षाती पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेलआउट लेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहिए एवं नाली को बन्द नहीं किया जायेगा। नाली का निर्माण मार्ग के मध्य से 22.86 मी० दूरी के अन्तिम बिन्दु पर किया जाये।
- (घ) फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.50 मी० नीचा रखा जाये।

संलग्नक— 1 मानचित्र 2 प्रति।

2 चैक लिस्ट आख्या 1 प्रति।

3 लीज डीड एग्रीमेन्ट 2 प्रति में।

अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
कासगंज
10.11.15

पत्रांक

/

दिनांक

प्रतिलिपि —

1. मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो० नि० वि०, आगरा को उनके पत्रांक 16337 / 116 सी०—आ०क्षे० / 15 दिनांक 09.11.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त, लो० नि० वि०, अलीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता (चतुर्थ) को सूचनार्थ।
4. अवर अभियन्ता (प्रा०) / मानचित्रकार को सूचनार्थ।

अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
कासगंज

Pradeep Kumar

प्रादेशिक प्रबंधक (रिटेल) मथुरा
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
प्लॉट डी-1, रोड नं 26, इंडस्ट्रियल एरिया,
साइट-बी, पो. रिफाइनरी, मथुरा-281005